भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3428
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

रोजगार के अवसर

3428. श्री अनंतकुमार हेगड़ेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व भर में रोजगार के नए अवसरों के सृजन में लगातार वृद्धि हो रही है जबकि देश में नौकरियों में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान रोजगार/रोजगार सृजन के विकास में निबल वृद्धि काम करने वाले लोगों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, दोनों में श्रम बल में जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या एवं रोजगार सृजन की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अन्य विकसित और विकासशील देशों जैसे यूरोपीयन देशों में रोजगार सृजन करने या रोजगार संबंधी छंटनी को रोकने हेतु कार्यान्वित की जा रही विभिन्न प्रगतिशील नीतियों को नोट किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर और कामगार जनसंख्या अनुपात नीचे दिया गया हैः

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की 'वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक आऊटलुकः रूझान 2019; शीर्षक की रिपोर्ट 13 फरवरी, 2019 को प्रकाशित हुई उसके अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के रूझान नीचे दिए गए हैं:'

	रोजगार वृद्धि (% में)			
	2017	2018	2019	2020
एशिया और प्रशांत	1.1	0.7	0.6	0.6
पूर्वी एशिया	0.2	-0.2	-0.3	-0.3
दक्षिणपूर्वी एशिया और प्रशांत-	1.2	1.3	1.2	1.2
दक्षिणी एशिया	2.2	1.6	1.5	1.5

सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 25 अक्तूबर, 2019 तक इस योजना के तहत 20.65 करोड़ ऋण अनुमोदित किए गए थे।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

रोजगार सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार, ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही थी। पीएमआरपीवाई के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थी को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन साल तक लाभ प्राप्त होगा।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 09.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3428 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(i) 4 एवं 5वें रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18 के आधार पर 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य प्रमुख और सहायक स्थिति यूपीएसएस (पीएस+एसएस) दृष्टिकोण पर आधारित श्रम बल भागीदारी दर

(प्रतिशत में)

सर्वेक्षण/क्षेत्र	यूपीएसएस के तहत श्रम बल भागीदारी दर											
	ग्रामीण				शहरी				ग्रामीण+शहरी			
	पु.	म.	कि.	व्य.	पु.	म.	कि.	व्य.	पु.	म.	कि.	व्य.
चौथा ईयूएस (2013-14)	76.4	36.4	-	58.8	74.0	19.7	-	47.9	75.7	31.1	-	55.6
पांचवां ईयूएस (2015-16)	78.0	31.7	52.2	55.8	69.1	16.6	41.2	43.7	75.5	27.4	48.8	52.4
पीएलएफएस (2017-18)	76.4	24.6	-	50.7	74.5	20.4	-	47.6	75.8	23.3	-	49.8

(टिप्पणी: * पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो में सर्वेक्षण की कार्य पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।

(ii) (पीएलएफएस) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (ईयूएस) बेरोजगारी सर्वेक्षण-वें रोजगार5 एवं 4, 2017- वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य 15 के आधार पर 18प्रमुख और सहायक स्थिति यूपीएसएस दृष्टिकोण पर आधारित (एसएस+पीएस)कामगार जनसंख्या दर

(प्रतिशत में)

सर्वेक्षण/क्षेत्र	यूपीएसएस के तहत कामगार जनसंख्या दर											
	ग्रामीण				शहरी				ग्रामीण+शहरी			
	पु.	म.	कि.	व्य.	पु.	म.	कि.	व्य.	पु.	म.	कि.	व्य.
चौथा ईयूएस (2013-14)	74.3	35.1	-	57.1	71.4	17.5	-	45.5	73.5	29.6	-	53.7
पांचवां ईयूएस (2015-16)	75.7	30.2	51.9	53.9	67.1	14.8	36.9	41.8	73.3	25.8	47.2	50.5
पीएलएफएस (2017-18)	72.0	23.7	-	48.1	69.3	18.2	-	43.9	71.2	22.0	-	46.8

(टिप्पणी: * पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो में सर्वेक्षण की कार्य पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।